उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, सन् 1958)

UTTAR PRADESH (KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA) ACT, 1958

(U.P. Act No. XLV of 1958)

उत्तर प्रदेश [1][कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय] अधिनियम, 1958[2]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1958]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1972

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1974

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1980

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 1981

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 1999

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 2010

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 2014

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2019

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2023

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 16 दिसम्बर, 1958 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1958 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 25 दिसम्बर, 1958 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक *26 दिसम्बर, 1958 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश के लिये [3][कृषि–विश्वविद्यालयों को] स्थापित तथा निगमित करने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि कृषि के विकास तथा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लाभ के लिये [3][कृषि–विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किये जाये] ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम [4] [उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम], 1958 कहलायेगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 29 नवम्बर, 1958 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

* दिनांक 26 दिसम्बर, 1958 से प्रवृत्त हुआ समझ जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में ––

(क) "विद्वत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद् (Academic Council) से है ;

(ख) "कृषि" का तात्पर्य भूमि तथा जल के प्रबन्ध, फसल तथा पशुधन के उत्पादन एवं प्रबन्ध और ग्रामीण जनता के सुधार के आधारभूत (basic) तथा व्यवहारिक (Applied) विज्ञान से है ;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) से है ;

(घ) "फैक्लटी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैक्लटी (Faculty) से है ;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (Governor) से है ;

(च) (सजातीय पदों सहित) "नियत" का तात्पर्य परिनियमों (Statutes) द्वारा नियत से है ;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक (Registered Graduate) से है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(झ) "परिनियमों" तथा "विनियमों" का तात्पर्य क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes) तथा विनियमों (Regulations) से है;

(ञ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted) किसी उपाधि, (degree) डिप्लोमा या शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्यक्र के अध्ययन के प्रयोजन के नामांकित (enrolled) हो ;

[1][(ट) "अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सन्नियमों तथा मार्गदर्शनों के अनुसार सम्यक रूप से नियुक्त सहायक आचार्य की श्रेणी से अनिम्न किसी व्यक्ति से है;] और

[2][(ठ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य यथास्थिति गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा या महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर से है।]

[***][4] विश्वविद्यालयों की स्थापना

[3]**[2–क–** (1) इस धारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पंतनगर में विद्यमान गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे (जिसे आगे नियत दिनांक कहा गया है)––

(i) [5][अयोध्या में एक विश्वविद्यालय की जो आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय] कहलायेगा, और

(ii) कानपुर में एक विश्वविद्यालय की जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा, स्थापना की जायेगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 2019 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 2023 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 22 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2000 की धारा 2.क की शीषक द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 2019 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(1–क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ; ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे मेरठ में एक विश्वविद्यालय की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कहलायेगा स्थापना की जायगी ।]

[2] [(1–ख) उपधारा (1) और उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे बांदा में एक विश्वविद्यालय जो [3] [बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा कहलायेगा, की स्थापना की जायेगी।]

[4] [(1–ग) उपधारा (1), (1–क) और (1–ख) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय जो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर के रूप में जाना जायेगा, की स्थापना की जायेगी ।]

[5][(2) [6][उपधारा (1) या उपधारा (1–क) या उपधारा (1–ख)] के अधीन स्थापित स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में––

(क) राज्य सरकार [7] [कुलाधिपति] (Chancellor) से भिन्न] विश्वविद्यालयों के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग–अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके ।]

विश्वविद्यालय

3–[8][(1) [6][कुलाधिपति] (Chancellor), [6][कुलपति (Vice-Chancellor)] और बोर्ड तथा विद्वत् परिषद् के सदस्यों से जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में तत्समय पद धारण कर रहें हों, उस विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संकाय गठित होगा ।]

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4–विश्वविद्यालय अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ निम्नलिखिति प्रयोजनों के निमित्त स्थापित तथा निगमित समझा जायगा ;

(क) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता ाके विभिन्न विषयों, विशेषकर, कृषि ग्रामीण उद्योग तथा व्यवसाय और अन्य संबंधित विषयों, में शिक्षा देने के लिये व्यवस्था करना ;

(ख) अनुसन्धान कार्य को, विशेषकर, कृषि तथा अन्य संबंधित विज्ञानों में, आगे बढ़ाना, तथा

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2000 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, 2010 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2014 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित। (मा0 श्री कांशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के स्थान पर)
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 2023 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 22 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, 2010 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) क्षेत्रीय तथा प्रसार कार्य–क्रम (Field and Extension Programmes) अपनाना ।

विश्वविद्यालय सभी के लिये होगा

5–विश्वविद्यालय, इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिये खुला होगा, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह अपेक्षित न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करे ।

विश्वविद्यालय के अधिकार

6–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे ;

(1) कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा व्यवसाय ओर संबंधित विज्ञानों तथा विद्या की ऐसी अन्य शाखाओं में, जिन्हे विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा की व्यवस्था करना ;

(2) अनुसंधान–कार्य और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार तथा प्रसार–कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था करना ;

(3) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना;

(4) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओ का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान (grant and confer) करना ––

(क) जिन्होंने किसी पाठ्यक्रम का यथानियत अध्ययन किया हो ; या

(ख) जिन्होने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ अभिज्ञात किसी संस्था में परिनियमों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसन्धान कार्य किया हो ;

(5) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तो के अधीन तथा रीति से सामान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना ;

(6) क्षेत्र–कर्मियों (field workers) तथा अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना तथा उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना, जो विश्वविद्यालय निर्धारित करें ;

(7) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करें ;

(8) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसन्धान तथा प्रसार के पदों की स्थापना करना तथा उन पदों पर व्यक्तियो कि नियुक्ति करना ;

(9) परिनियमों के अनुसार परिषद् वृत्तियां (जिनके अन्तर्गत यात्रिक परिषद् वृत्तियां भी है) छात्र वृत्तियां तथा पारितोषिक स्थापित और प्रदान करना ;

(10) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास–स्थानों की स्थापना एवं उनका अनुरक्षण ;

(11) ऐसे शुल्क तथा अन्य परिव्यय मांगना और प्राप्त करना, जो नियत किये जायें;

(12) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास–स्थान का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्यएवं कल्याण की वृद्धि के लिये प्रबन्ध करना ;

(13) प्रशासकीय, कारणिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ; तथा

(14) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों ।

कतिपय प्रयोजनों के लिये क्षेत्रीय अधिकारिता

[1][**6–क–**प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–कार्य के संबंध में धारा 6 के अधीन विश्वविद्यालय के अधिकारों का प्रयोग अनुसूची में प्रत्येक के सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में किया जा सकेगा ।]

निरीक्षण

7–(1) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं (Laboratories) तथा साज–सज्जा (Equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का निरीक्षण करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले मे उसी प्रकार जांच करवा सकती है ।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है और विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने तथा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा ।

(3) राज्य सरकार उक्त निरीक्षण और जांच के फल के संबंध में बोर्ड को ऐसे परामर्श के साथ, जो राज्य सरकार कार्यवाही करने के संबंध में दे, संबोधित कर सकती है।

(4) बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा जो वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फल को दृष्टि में रखकर करना चाहे या जो उसने की हो ।

(5) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार उक्त बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अथवा अध्यावेदन (Representation) पर विचार करके ऐसे निदेश प्रचारित करेगी, जो वह उचित समझे और बोर्ड उनका अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा ।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तथा प्राधिकारी

8– विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे ;

(क) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

(1) [2][कुलाधिपति] (Chancellor) ;

(2) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) ;

(3) लेखा नियंत्रक (Comptroller) ;

(4) [2][कुल सचिव] (Registrar) ;

(5) छात्र–कल्याण का डीन (Dean of Student Welfare) ;

(6) फैकल्टियों के डीन (Deans of Faculties) ;

(7) कृषि–प्रयोग–केन्द्र–संचालक (Director of the Agricultural Experiment Station) ;

(8) प्रसार संचालक (Director of Extension) ; और

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 24 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(9) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जाये ।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(1) प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) ;

(2) विद्वत परिषद् (Academic Council) ;

(3) फैकल्टियों के बोर्ड (Boards of Faculties) ; तथा

(4) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें ।

कुलाधिपति

9–(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के [1][कुलाधिपति] (Chancellor) होंगे । वे पदेन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्त करेंगे ।

(2) [1][कुलाधिपति] (Chancellor) को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जाये ।

बोर्ड का संघटन तथा उसके अधिकार और कर्त्तव्य

[2][**10**– (1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् ––

(क) [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) . .	. .	पदेन
(ख) सचिव, राज्य सरकार, कृषि विभाग	. .	पदेन
(ग) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग	. .	पदेन
(घ) सचिव, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग	. .	पदेन
(ड़) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	. .	पदेन
(च) पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	. .	पदेन

[3][(छ) मंत्री से भिन्न राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो उक्त सभा द्वारा निवार्चित किये जायेंगे ;

[3][(ज) मंत्री से भिन्न राज्य विधान परिषद् का एक सदस्य जो उक्त परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।]

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट पांच सदस्य, जिनमें क्रमशः निम्नलिखित होंगे :–

(1) एक विख्यात कृषि वैज्ञानिक,

(2) एक प्रगतिशील कृषक,

(3) एक पशुधन प्रजनक ,

(4) एक विशिष्ट उद्योगपति या निर्माता जिसे कृषि विकास का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो,

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1966 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1999 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता जो अधिमानतया वह होगी जिसे ग्राम विकास का अनुभव हो,

[1][(ट) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, और]

(ठ) पंजीकृत स्नातकों का एक प्रतिनिधि जो नियत रीति से निर्वाचित हो ।

(2) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) बोर्ड का पदेन सभापति होगा ।

(3) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का नाम–निर्देशन तथा निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञापित किया जायगा ।

(4) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उपधारा (3) के अधीन उनके नाम–निर्देशन या निर्वाचन की विज्ञप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि, उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिये होगी।

[3][(4–क) जहां यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में निर्दिष्ट कोई सदस्य मैत्री के रूप में नियुक्त हो जाय, वहाँ इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (4) के अधीन उसकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायगा और इस प्रकार से हुई रिक्ति को उसके शेष पदावधि तक के लिये भरा जायगा।]

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, 18 जनवरी, 1966 के पश्चात् बोर्ड के प्रथम संघटन पर उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कुछ सदस्यों की पदावधि इस उद्देश्य से कम करने के लिय परिनियमों में व्यवस्था को जायगी कि तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष यथासंभव एक तिहाई सदस्य निवृत हो जायं।][4]

(6) सदस्य बिना वेतन के कार्य करेंगें, परन्तु दैनिक भत्ता तथा पात्रिक व्यय पाने के अधिकारी होंगे, जो विश्वविद्यालय के आय–व्यय से दियें जायेंगे ।

(7) बोर्ड के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे ;

(क) उप–कुलपति द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय का अनुमोदन ;

(ख) विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा प्रशासकीय कर्मचारिवर्ग के सदस्यों को नियत रीति से नियुक्त करना ;

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1999 की धारा (10) 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1999 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1966 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को अपने अधिकार में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा इस संबंध में कोई सामान्य आदेश प्रचारित करना ;

(घ) किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना ;

(ङ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गई निधियों का प्रशासन ;

(च) विश्वविद्यालय के रूपये का विनियोजन (to invest) ;

(छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग का निर्देश करना ;

(ज) ऐसी स्थायी अथवा अस्थायी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने कृत्यों के उचित सम्पादन के लिये आवश्यक समझे ;

(झ) [1][* * * *]

(ञ) पूंजीगत (capital) सुधारों के लिये धन उधार लेना तथा उसकी वापसी का उपयुक्त प्रबन्ध करना ;

(ट) ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों में, जिसे वह आवश्यक समझे, बैठक करना, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक दो मास मे कम से कम एक नियमित बैठक की जायगी, और प्रतिबन्ध यह भी है कि इसकी नियमित बैठकों मे से कम से कम आधी बैठकें विश्वविद्यालय में की जायेंगी ; और

(ठ) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामालों को विनियमित तथा निर्धारित करना तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें।

[2][**स्पष्टीकरण**–इस धारा के प्रयोजन के लिये शब्द "मंत्री" के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री भी सम्मिलित हैं।][3]

[3][कुलपति] (Vice-Chancellor)

[4]**[11**–(1) [3]**[कुलपति]** (Vice-Chancellor) विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा । उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966 के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम [3]**[कुलपति]** (Vice-Chancellor) को नियुक्ति [3]**[कुलाधिपति]** (Chancellor) द्वारा की जायगी। अनुवर्ती [3]**[कुलपति]** (Vice-Chancellor) की नियुक्ति [3]**[कुलाधिपति]** (Chancellor) [4]**[**ऐसी खोजबीन समिति द्वारा, जिसमें बोर्ड का एक पदेन सदस्य, अर्थात सचिव/प्रमुख सचिव/अपर प्रमुख सचिव, कृषि, शिक्षण एवं अनुसंधान विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे**]** नाम–निर्दिष्ट तीन व्यक्तियों की नामावली मे से करेंगे ।]

[5] [(1–क) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों मे से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1966 की धारा 2 द्वारा निकाली गयी।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1999 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 2019 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1981 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

या सिफारिश किये गये व्यक्तियों मे से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और [2][कुलाधिपति] का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (1) के अनुसार नये नामों की एक नामावली प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।]

[1][(2) (क) केवल ऐसे व्यक्ति [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

[1][(ख) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ;

[1][(ग) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor), जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है ;

[1][परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और [2][कुलाधिपति] (Chancellor) द्वारा ऐसा त्याग–पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा ।]

(3) [3][* * * *]

(4) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) की उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं और नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(5) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) [2][कुलाधिपति] (Chancellor) को संबोधित लिखित त्याग–पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है । साधारणतया त्याग–पत्र उस दिनांक से जब कि [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो 60 दिन पूर्व [2][कुलाधिपति] (Chancellor) के सचिव को दिया जायगा ।

[4][(6) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में (जिनकी विद्यमानता के एकमात्र निर्णायक कुलाधिपति होंगे), कुलाधिपति किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जिसे वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकते है :–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी के कारण या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से रिक्त हो जाय या रिक्त होना सम्भावित हो ;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाय और उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा न जा सकता हो ; और

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में ।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 2007 की धारा 2(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 2007 की धारा 2(ख) द्वारा निकाला गया ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1980 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि को समय–समय पर इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि (मूल आदेश में निर्धारित अवधि सहित) एक वर्ष से अधिक न हो।]

(7) जब तक कि उपधारा (6) के अधीन रिक्ति की पूर्ति न हो जाय या [जब तक कि [2][कुलाधिपति (Chancellor) कोई [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) नियुक्त न करें][3] तब तक [2][कुल सचिव] (Registrar) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा ।

[2][कुलपति] (Vice-Chancellor) के अधिकार और कर्तव्य

12–(1) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और [2][कुलाधिपति] (Chancellor) की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा । वह विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और बोर्ड का पदेन सदस्य होगा ।

(2) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाय और धारा 23 के अधीन [2][कुलाधिपति] (Chancellor) के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ आवश्यक हों ।

(3) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) को विद्वत् परिषद् की बैठक बुलाने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वह अपने अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिहित (delegate) कर सकता है ।

(4) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(5) [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) बोर्ड के समक्ष आय–व्ययक तथा लेखा–विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(6) किसी ऐसी आपातिक स्थिति में, जिसमें [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा, जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय–व्ययक में न की गई हो ।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) द्वारा की गई किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1981 की धारा 2(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 3 (4) द्वारा प्रतिस्थापित ।

हो, तो वह व्यक्ति उस दिनांक के, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है ।

(8) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, वृत्तिक कर्मचारिवर्ग (professional staff) तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति के संबंध में बोर्ड द्वारा दी गई आज्ञाओं को [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) कार्यान्वित करेगा ।

(9) [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) दीक्षान्त समारोह मे ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि [1][कुलाधिपति] (Chancellor) उपस्थित हो तो वह ही कोई या समस्त उपाधियां प्रदान करेगा ।

(10) [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार के प्रगाढ़ समन्वय तथा एकीकरण के लिये उत्तरदायी होगा ।

(11) [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायें।

लेखा–नियंत्रक

13–(1) लेखा–नियंत्रक (Comptroller) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा [राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों पर नियुक्त किया जायगा जो वह उचित समझे।][2]

(2) वह बोर्ड का पदेन सचिव होगा [3][* * * *] ।

(3) धारा 11 की उपधारा [4][* * * *] (6) तथा (7) में उल्लिखित अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्तव्यों के पालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लेखा–नियंत्रक के पद के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

(4) लेखा–नियंत्रक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनियोजित धनराशियों का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा । वह [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निमित्त आय–व्ययक तथा लेखा–विवरण तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(5) लेखा–नियंत्रक का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा ––

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनियोजन से भिन्न किसी रूप में, कोई ऐसा व्यय न किया जाय जो आय–व्ययक में प्राधिकृत न किया गया हो ; और

(ख) किसी ऐसे व्यय को अस्वीकृत करना जो किसी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करे, या जिसके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो।

कुलसचिव

14–(1) [1][कुल सचिव] (Registrar) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा [1][कुलपति] (Vice-Chancellor द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये नियुक्त किया जायेगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 08, 1966 की धारा 4 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 4 (2) द्वारा निकाले गए ।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (3) द्वारा निकाले गए ।

(2) [1][कुल सचिव] (Registrar) को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जाये ।

(3) [1][कुल सचिव] (Registrar) विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा । वह विद्वत परिषद् का पदेन सचिव होगा और उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचना के लिये बाध्य होगा जो कार्य–संपादन के लिये आवश्यक हो। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये प्रार्थना–पत्रों को लेगा तथा समस्त पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या और अन्य सूचना का, जिसे आवश्यक समझा जाय, स्थायी अभिलेख रखेगा ।

[2][(3–क) राज्य के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चक्रीय क्रम से, सयुंक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे ।]

(4) [1][कुल सचिव] (Registrar) उन परीक्षाओं के, जो नियत की जायं, संचालन के लिये उत्तरदायी होगा और उनके लिये आवश्यक अन्य समस्त प्रबन्ध करेगा और उनसे संबद्ध प्रक्रियाओं के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(5) [1][कुल सचिव] (Registrar) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय–समय पर बोर्ड अथवा [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) द्वारा नियत किये जावें अथवा अपेक्षित हों ।

(6) [1][कुल सचिव] (Registrar) को विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न दिया जायगा, न वह उसे स्वीकार करेगा, सिवाय उस पारिश्रमिक के जिसकी व्यवस्था परिनियमों द्वारा की गई हो ।

छात्र–कल्याण का डीन

15–(1) छात्र–कल्याण का डीन (Dean of Student Welfare) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(2) छात्र–कल्याण के डीन को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जाये।

(3) छात्र–कल्याण के डीन के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे ––

(क) छात्रों के निवास के लिये प्रबन्ध करना ;

(;ा) छात्रों को परामर्श देने के कार्यक्रम का संचालन करना ;

(ग) [1](कुलपति) (Vice-Chancellor) द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन (employment) का प्रबन्ध करना ;

(घ) छात्रों के पाठ्यचर्या के अतिरिक्त कार्यों तथा आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करना ;

(ड़) विश्वविद्यालय से जाने वाले स्नातकों को नियुक्ति पाने मे सहायता देना ; तथा

(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संघटित करना तथा उनसे सम्पर्क बनाये र;ाना ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 2006 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

विद्वत् परिषद्

16–(1) विद्वत परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षा–संबंधी कार्यों की भार–साधक होगी और इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के स्तरों और उपाधियां प्राप्त करने की अपेक्षाओं का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें। उसे शिक्षा संबंधी समस्त विषयों पर [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(2) विद्वत् परिषद् का संघटन तथा उसके सदस्यों की पदावधि नियत की जायगी।

फैकल्टी

17–(1) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायें।

(2) प्रत्येक फैकल्टी में वे विभाग होंगे जो नियत किये जायें तथा विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(3) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका संघटन तथा जिसके अधिकार नियत किये जायेंगे ।

(4) प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय ।

(5) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी के संबद्ध परिनियमों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा । वह फैकल्टी के विभागों मे अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार कार्य के संघटन और संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(6) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो विभाग के संघटन तथा संचालन के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(7) विभागाध्यक्षों की नियुक्ति उसी प्रकार होगी तथा उनके कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य वे होंगे जो नियत किये जाय ।

कृषि प्रयोग केन्द्र

18–(1) विश्वविद्यालय मे एक कृषि प्रयोग केन्द्र (Agricultural Experiment Station) स्थापित किया जायगा । इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह समस्त फैकल्टियों में आधारभूत तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के अनुसंधान के लिये उत्तरदायी होगा ।

[2][(2) कृषि प्रयोग केन्द्र का एक संचालक होगा जो [1][कुलपति] द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा ।]

(3) कृषि–प्रयोग–केन्द्र संचालक कृषि का प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । वह परियोजनाओं (projects) के अभिलेखों को उचित रूप से रखेगा तथा अनुसंधान की प्रगति के प्रतिबन्धों को नियत रीति से प्रकाशन के लिये लेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1972 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कृषि तथा गृह–विज्ञान प्रसार सेवा

19–(1) विश्वविद्यालय मे एक कृषि तथा गृह–विज्ञान प्रसार सेवा (Agricultural and Home Science Extension Service) स्थापित की जायेगी और वह, इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुये, कृषकों तथा गृहणियों को उनकी समस्यायें सुलझाने में सहायता देने के निमित्त उपयोगी सूचना उपलब्ध करायेगी तथा नवयुवकों में कृषि के प्रति अभिरूचि का विकास करने के लिये उपाय करेगी, जैसे तरूण–संघों की स्थापना ।

[1][(2) एक प्रसार संचालक होगा, जो [2][कुलपति] (Vice-Chancellor) द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा।]

(3) प्रसार–संचालक कृषि में प्राविधिक प्रशिक्षण–प्राप्त एक पूर्ण–कालिक पदाधिकारी होगा, जो अनुसंधान के परिणामों के आधार पर प्रसार कार्य का कार्यक्रम बनायेगा तथा उसे निष्पादित करेगा ।

सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबन्ध

20–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्य पदों में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति यथासुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित व्यक्ति उस पदावधि के शेषकाल के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जिस तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ हो, उसका सदस्य रहता ।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या न हो, विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य रहेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहे जिसके द्वारा वह नाम–निर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित हुआ था और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियाँ, रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

21–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्यपदों की रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थी या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों में भाग लिया था जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह ज्ञात हुआ हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

22–बोर्ड किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या [अन्य निकाय की][3] सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि वह व्यक्ति नैतिक पतन वाले किसी अपराध का सिद्ध–दोष (convicted) हुआ है ।

सदस्यता और कार्यवाहियाँ

23–यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति, बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं या विश्वविद्यालय का अथवा बोर्ड के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा ।

समितियों का संगठन

24–जब इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1972 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1966 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो, तो वे समितियां, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, संबद्ध प्राधिकारी के सदस्यों में से बनेंगी ।

निवृत्ति–वेतन अथवा भविष्य–निधि

25–(1) विश्वविद्यालय अपने पदाधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायें, ऐसे निवृत्तिवेतन, बीमा तथा भविष्य निधियां (pension, insurance and provident funds) की स्थापना करेगा, जिन्हें वह उचित समझें ।

(2) जब कोई ऐसी भविष्य निधि [1][कुलाधिपति] (Chancellor) द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन इस प्रकार स्थापित की गई हो, तो [1][कुलाधिपति] (Chancellor) यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेन्ट फन्ड्स ऐक्ट, 1925 के उपबन्ध उस निधि पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेन्ट प्राविडेन्ट फन्ड हो ।

वेतन–भोगी पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति

26–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग (staff) के सदस्य बोर्ड द्वारा [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) की सिफारिश पर नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों मे की गई हो, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन–भोगी पदाधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा । संविदा [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) के पास रक्खा जायगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबद्ध पदाधिकारी अथवा अध्यापक को दी जायगी । संविदा इस अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त परिनियमों मे सेवा की शर्तो से संबंधित उपबन्धों से असंगत न होगा ।

कतिपय अध्यापकों का विनियमितीकरण

[2]**[26–क–** इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये परिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना नियुक्त किया गया था, उसे बोर्ड द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक ––

(एक) 31 दिसम्बर, 1997 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो ;

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखता हो ;

(तीन) बोर्ड द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नही पाता है, वह ऐसे दिनांक को, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, ऐसा पद धारण नहीं करेगा ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 2006 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

विश्वविद्यालय तथा उसके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण

27–विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से कोई विवाद उठने की दशा में, संबद्ध पदाधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर वह विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें बोर्ड द्वारा नाम–निर्देशित एक सदस्य, संबद्ध पदाधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (Umpire) होंगे। इस न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा । ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आर्बीट्रेशन ऐक्ट, 1940 के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत (Submission to arbitration) समझी जायगी, तथा उस अधिनियम की धारा 2 को छोड़कर उसके सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे ।

परिनियम

28–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है तथा उनमें विशेष रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था की जायगी :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों के निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनका पद पर बना रहना, जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर, बना रहना भी है, तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से सम्बद्ध ऐसे अन्य सभी विषय, जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का नामोद्देश (Designation), उनकी नियुक्ति की रीति और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य ;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति ;

(ङ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये निवृत्ति–वेतन या भविष्य–निधि का संघटन तथा बीमा योजना की स्थापना ;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमाओं की स्थापना ;

(छ) सम्मान उपाधियों (Honorary degrees) का प्रदान ;

(ज) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण (amalgamation), उप–विभाजन तथा उनका समापन (abolition) ;

(झ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना तथा उनका समापन ;

(ट) परिषद् वृत्तियों (fellowship), छात्र वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों की स्थापना ;

(ठ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(ड) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा नामांकन और उनका इस प्रकार बना रहना ;

(ढ) विश्वविद्यालय की सब उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ण) शर्तें, जिनके अधीन छात्र उपाधियों, डिप्लोमा तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे तथा वे उपाधियों और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(त) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों में आवास के लिये शुल्कों का लिया जाना ;

(थ) ऐसे छात्रावासों का अभिज्ञान तथा प्रबन्ध, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों ;

(द) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतनभोगी पदाधिकारियों की संख्या, अर्हतायें, उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिनके अन्तर्गत सेवा–निवृत्ति की आयु भी है) तथा उनकी सेवा और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना ;

(ध) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के निमित्त लिये जा सकें ;

(न) शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रावासों में अध्यापन के निमित्त अर्ह स्वीकृत किया जाय ;

(प) परीक्षा–निकायों, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य ;

(फ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ब) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रिक भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित हों ;

(भ) परिषद–वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यार्थी–वृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां (Bursaries), पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें ; तथा

(म) अन्य समस्त विषय जिनके लिये इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये या हो सकती है ।

परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

29–(1) धारा 28 के खण्ड (क) से (ठ) में दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष 14 दिन तक रखी जायगी और तदन्तर्गत पहले से की गई किसी भी बात की वैधता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, वे ऐसे परिवर्धनों एवं परिवर्तनों के अधीन रहेंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों ।

(2) इस धारा में आगे दी हुई रीति से बोर्ड समय–समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकता है ।

(3) विद्वत् परिषद बोर्ड के समक्ष उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी भी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड की आगामी बैठक में विचार किया जायगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विद्वत् परिषद ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का प्रारूप प्रस्तावित नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की स्थिति (Status) या उसके अधिकार या संघटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त किसी मत पर बोर्ड विचार करेगा ।

(4) बोर्ड, उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी प्रारूप को अनुमोदित कर सकता है तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है, अथवा उसे विद्वत् परिषद की अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित लौटा सकता है जिनका वह सुझाव दे ।

(5) बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड के समक्ष किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है तथा बोर्ड उस प्रस्ताव को, यदि वह ऐसे विषय से संबंधित है जो विद्वत परिषद के क्षेत्र में नहीं है, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है । यदि ऐसा प्रारूप विद्वत् परिषद् के क्षेत्र के भीतर के किसी विषय से संबंधित हो तो बोर्ड उसे विद्वत परिषद के विचारार्थ अभिदिष्ट करेगा । विद्वत् परिषद बोर्ड को यह प्रतिवेदन दे सकती है कि वह उस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब वह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अस्वीकृत समझा जायगा, या वह उक्त प्रारूप को बोर्ड के पास उस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जिसे विद्वत् परिषद् अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप पर इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे विद्वत् परिषद द्वारा बोर्ड को प्रस्तावित प्रारूप के विषय में प्रवृत्त होते हैं।

(6) किसी भी नए परिनियम या परिनियमों के परिवर्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते है।

विनियम

30–(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत विनियम बना सकते हैं, जिनमें ––

(क) उनकी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य संख्या निर्धारित की जाय ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले हों ; तथा

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उन प्राधिकारियों या बोर्डों से सम्बन्ध रखते हों और जिनके लिए इस अधिनियम तथा परिनियमों में व्यवस्था न की गई हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनाएगा जिनमें उस प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों की जिन पर बैठकें होंगी और उस कार्य की जिस पर बैठकों में विचार किया जायगा, पूर्व सूचना देने तथा बैठकों में की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी ।

(3) बोर्ड ऐसी रीति से जो वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए किसी विनियम में संशोधन या उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी विनियम के रद्द किए जाने का आदेश दे सकता है ।

(4) परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्वत् परिषद् संबद्ध फैकल्टी के बोर्ड से तत्सम्बन्धी प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्य–क्रमों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है ।

(5) विद्वत् परिषद् फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त प्रारूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त प्रारूप को अस्वीकार कर सकती है या उसे अपने सुझावों सहित और अधिक विचार करने के लिए फैकल्टी के बोर्ड को वापस कर सकती है ।

छात्रों का निवास

31–छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) द्वारा अनुमोदित निवासों में, नियत शर्तों के अधीन रहते हुए, रहेंगे ।

अधिकारों का प्रतिनिधायन

32–बोर्ड इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अपने किसी अधिकार की परिनियम द्वारा किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन, जो नियत किए जायें, प्रयोग करने के लिए दे सकता है ।

वार्षिक प्रतिवेदन

33–विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) के निदेशाधीन तैयार किया जायगा तथा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को उस वार्षिक बैठक के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा जिसमें उस पर विचार किया जायगा ।

लेखे और लेखा परीक्षा

34–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और रोकड़–पत्र [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) के निदेशाधीन तैयार किए जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त हुई समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां, जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायेंगी ।

(2) लेखा तथा रोकड़–पत्र बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जायेंगे, जो परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा उनकी लेखा–परीक्षा कराएगा ।

(3) लेखा–परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां, लेखा–परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियों सहित, [1][कुलपति] (Vice-Chancellor) द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी जिन्हें वह राज्य सरकार को ऐसी टिप्पणी के साथ भेजेगा जो वह आवश्यक समझे ।

35–[2][* * * *]

कठिनाइयों का निवारण

36–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा ––

(क) निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम तथा तदन्तर्गत निमित कोई परिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे ; अथवा

(ख) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य या संपादनीय अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य उस समय तक जब तक कि उक्त पदाधिकारी या प्राधिकारी यथोचित रूप से नियुक्त या संघटित न हो जाय, किसके द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किए जायेंगे ; अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई, जिसका उक्त उपधारा में उल्लेख है, विद्यमान नहीं थी या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 25 द्वारा निकाला गया ।

[1][अनुसूची

(धारा 6—क देखिये)

क्रम—सं०	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
1	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय—	
	(क) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक	कुमायूं, गढ़वाल, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर और मेरठ डिवीजन
	(ख) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर	कुमायूं, गढ़वाल, मुरादाबाद और बरेली डिवीजन
2	[6][आचार्य] नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	[7][अयोध्या], [2] [xxxx] [xxxx] देवीपाटन, वाराणसी, [xxxx] और मिर्जापुर डिवीजन
3	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय	
	(क) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक	कानपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, इलाहाबाद और चित्रकूटधाम डिवीजन
	(ख) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर	कानपुर, लखनऊ [3][और इलाहाबाद] डिवीजन"
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,	मेरठ, सहारनपुर [4][आगरा, बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद] डिवीजन
[5][5	[6] [बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा][7]	झांसी और चित्रकूटधाम मण्डल][8]
6	महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर	गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ़

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2000 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 2023 की धारा 4 (क) द्वारा निकाला गया।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 08, 2010 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 08, 2010 की धारा 4(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 08, 2010 की धारा 4(ग) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2014 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 2019 की धारा 5(क) द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 2019 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।